

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु. 10

भारत

TEN
RUPEES

Rs. 10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL



UTTARAKHAND


14AA 591848

महोदय कोर्टिंग आजीसर महोदय एड कालाडुगी विद्यनसभा
अपघ पत्र श्री वीर सिंह पिता श्री गोकुल सिंह आका एव पोस्ट
केलपोकरा तहसील कालाडुगी, जिला नैनीताल।

Verified that Signatures
of the Deponent Identified by
Signature & Verified the Contents of
the Affidavit at
12.01.2012

(G. S. DHARPOLA)
Notary, Kaladhungi,
District, Nainital (U.P.) India
12.01.2012

निशा रानी डोंडाठा
श्री वीर सिंह



(नियम 4क देखिए)

60. काला हूंगी

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग

आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र

में, वीर सिंह

पुत्र / पुत्री / पुत्री

गोविन्द सिंह

आयु 60

वर्ष, जो

ग्राम खेपट, अंतर्वेरा, तहसील काला हूंगी, जिला पंचौत

का / की निवासी हूँ 3 तरा (वर्ग)

और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ / शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ / करती हूँ :-

1- मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / -की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरंभ विरचित किया गया है / किए गए हैं।


(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी) :

- मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं लागू नहीं
- पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला (जिले) लागू नहीं राज्य लागू नहीं
- संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है लागू नहीं
- न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई लागू नहीं
- तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / थे लागू नहीं
- क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं लागू नहीं


2- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ~~रुहस्य नया है~~ / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दंडादिष्ट ~~क्रिम नया है~~ / नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं लागू नहीं
- न्यायालय, जिसने दंडित किया है लागू नहीं
- पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला (जिले) लागू नहीं राज्य लागू नहीं
- संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है लागू नहीं
- तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे लागू नहीं
- क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं लागू नहीं



10/10/2012




अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन


मैं. ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

कालाहूंगी स्थान पर आज तारीख 12-1-2012 को सत्यापित किया।

 के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जाएं।


~~BY~~



certified that the Deponent Identified by...
Sworn & Verified the Contents of this Affidavit at...
in Dated...
Veer Singh
Kaladhungi
12.01.2012

(G. S. DHAPOLA)
Notary, Kaladhungi.
Distt. Nainital (U.A.) India
12.01.2012

मिशाली जंगल
श्री वीर सिंह



Veer Singh